राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1336–दो/17 जिला– मुरैना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 कमठान उपस्थित होकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का प्रकरण कमांक 190/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 12.4.17 के विरूद्व यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राह्यता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.4.2017 को आवेदक द्वारा प्रकरण में स्थगन आवेदन तथा आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का आवेदन मय दस्तावेजों के प्रस्तुत किया गया था लेकिन आवेदक द्वारा तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना के आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की थी। इसका उल्लेख अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में किया है और अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह का आदेश दिनांक 30.317	

स्थिर रखा हुआ है। अतएव अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का प्रकरण कमांक 190/अपील/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 12.4.17 उचित होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ । **न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305 पार्वती देवी विरूद्व सत्यनारायण " माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभि निध्रारित किया है कि " तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं"** । अतएव आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधिनस्थ न्यायालयों का अभिलेख वापस किया जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य

211

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी R 1336-II-17

श्री ... द्वारा आज दि. 8-5-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 8-5-17

1. रामप्रकाश शर्मा
2. लक्ष्मीनारायण शर्मा

पुत्रगण स्व. झुंगीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 17 भूमियां रोड, अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र.)

—— निगरानीकर्ता–आवेदकगण

बनाम

1. जगदीश सिंह
2. अशोक
3. प्रमोद

पुत्रगण स्व. श्री झुंगीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासीगण वार्ड नम्बर 17 भूमियां रोड अम्बाह जिला मुरैना।

4. मध्य प्रदेश शासन ।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय श्री अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 190/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 12.04.2017 के विरूद्ध ।

श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

(1) यह कि, ग्राम बड़फरा, तहसील अम्बाह में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 924 रकवा 2 बीघा 1 विस्वा, 925 रकवा 1 विस्वा, 926 रकवा 3 बीघा 14 विस्वा, 928 रकवा 6 विस्वा, 927 रकवा 6 विस्वा, 932 रकवा 6 बीघा 15 विस्वा में से सर्वे क्र. 924 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा में से 1/2 भाग 925